छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–24/ 2015 /11/(6) नया रायपुर, दिनांक 06.05.2015
7.5.2015

राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी की गई है जिसकी कंडिका 15.3 एवं नीति के परिशिष्ट–5 एवं परिशिष्ट–6 की कंडिका 5 में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत का प्रावधान है, अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–2, संतृप्त (अपात्र) श्रेणी के उद्योगों की सूची में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, डायवर्सीफिकेशन (शवलीकरण) हेतु आबंटित की जाने वाली भूमि पर भू–प्रब्याजि में निम्नानुसार छूट/रियायत संबंधी नियम दिनांक 01 नवम्बर 2014 से लागू करता है :–

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी	महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमी	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–09 के परिशिष्ट–7 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	निरंक	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों मे (औद्योगिक नीति 2014–09 के परिशिष्ट–8 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	60 प्रतिशत	65 प्रतिशत	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत

वृहद उद्याग तथा मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्यमियों का वर्ग			
	सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी. आई), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी	महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमी	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग
1.	3.	4.	5.	6.
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–09 के परिशिष्ट–7 के अनुसार)	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	30 प्रतिशत	100 प्रतिशत
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–09 के परिशिष्ट–8 के अनुसार)	25 प्रतिशत	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत	100 प्रतिशत

1– उपरोक्त छूट/ रियायत औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज के विस्तार तथा फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों के प्रकरणों में भी प्राप्त होगी ।

2– औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट औद्योगिक व सेवा उद्यमों हेतु है व इस वर्ग के उद्यमियों पर भू–भाटक की दर 1 रू. वार्षिक प्रति एकड़ की दर से अधिरोपित की जावेगी । संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क व अन्य कर एवं अन्य उपकरों पर कोई रियायत/छूट नहीं होगी।

3– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग से भिन्न उद्योगों के वर्ग से सामान्य दरों पर भू–भाटक अधिरोपित किया जावेगा ।

4– उपरोक्तानुसार छूट/रियायत निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

4.1– उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

4.2– सूक्ष्म, लघु उद्योगों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्ति से 3 व वृहद उद्योगों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से 4 वर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्रदाय करने के दिनांक से 5 वर्ष एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों को भू–आधिपत्य प्राप्ति के 6 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा, परन्तु औद्योगिक इकाई के अभ्यावेदन पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के अध्याय तीन की कंडिका 3.1.1.1 की तालिका I, II एवं तालिका III के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

4.3— यदि छूट/रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई ने उक्त छूट/रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो छूट/रियायत की राशि / अतिरिक्त छूट/ रियायत की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य, वसूल की जावेगी, वसूली योग्य राशि औद्योगिक इकाई को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय/ कराधान सुविधाओं/ छूट में भी समायोजित की जा सकेगी ।

4.4— इन नियमों के अधीन प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्योग संचालनालय का पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.5— आवेदक इकाई को उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिये यथा स्थिति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक अनुबंध, स्वयं के व्यय पर निष्पादित व पंजीकृत कराना होगा।

4.6— आवेदकों को भू आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र/अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई), निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी तथा महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

4.7— इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगीं जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

4.8— किसी भी विवाद पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग